निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1933 (श0)

संख्या 45 पटना, बुधवार, ——————

9 नवम्बर 2011 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-6
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

19 अक्तूबर 2011

सं० 01 / स्था / न0नि0–34 / 2011–5678 / न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 के अध्यधीन श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, नवगछिया, जिला–भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया, जिला–भागलपुर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

3 नवम्बर 2011

सं० अ0स0क0- 01-20/2010-1387-66—श्री रशीद अहमद, बि0प्र0से0, उप-सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निजी कार्य हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248(क) के अधीन दिनांक 11 नवम्बर 2011 से 11 दिसम्बर 2011 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है ।

2. प्रस्ताव में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

31 अक्तूबर 2011

सं० नि०वि०स्था०–133 / 2000–6306—श्री जितेन्द्र बहादुर माथुर, प्रशाखा पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3035, दिनांक 27 सितम्बर 2011 द्वारा अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप अवर सचिव के पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31 अक्तूबर 2011 (अपराह्न) के प्रभाव से इन्हें विरमित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 34—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3215—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन विभाग, बिहार सरकार के स्थायी आदेश सं०–I/एम[1]–190/2005–737, दिनांक 10 मार्च 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं: –

संशोधन : –उक्त आदेश की कंडिका–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी: –

''7 (1) उक्त आदेश की कंडिका–5 में वर्णित तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए यह छूट प्रभावी होगा।

(2) कंडिका–6 में उल्लिखित तिथि से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की प्रभावी तिथि दिनांक 1 जुलाई 2011 के पूर्ववर्ती तिथि तक प्रभावी रहेगी।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3215—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

The 24th October 2011

No.- I/M[1]- 190/2005-3215—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendment in Standing Order No.-I/M1-190/2005-737, dated 10th March 2007 of Department of Registration, Government of Bihar: --

AMENDMENT: -Para-7 of the order shall be substituted by the following: --

"7 (1) The period of exemption shall remain effective up to a period of 5 years from the date mentioned in para-5 of the said order.

(2) The period of exemption shall remain effective till the antecedent date before the enforcement date 1st July 2011 of Industrial Incentive Policy, 2011 from the date mentioned in para-6."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI, *Secretary.*

24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3216—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड–'क' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत निम्नलिखित वर्ग के दस्तावेजों पर उनके सामने दर्शायी गयी सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट स्वीकृत की जाती है: –

क्रम सं0	दस्तावेजों के प्रकार और उनके ब्योरे	स्टाम्प शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट
(i)	राज्य के औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र से बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों मे निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 प्रतिशत)।
(ii)	कार्यरत औद्योगिक इकाइयाँ जिनकी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो के विस्तार (Expansion) अथवा विशाखन (Diversification) हेतु मात्र विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 प्रतिशत)।

2. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगी।

3. यह छूट 01 जुलाई 2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

4. वैसी इकाइयाँ जिनके द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि का क्रय लीज/बिक्रय–पत्र/अंतरण दस्तावेजों के माध्यम से कर लिया जाता है एवं छूट का उपभोग नहीं किया गया हो उन्हें उत्पादन के पश्चात् (Post Productive stage) उद्योग विभाग के उत्पादकता प्रमाण–पत्र एवं प्राधिकार–पत्र पर अनुमान्य छूट की राशि की प्रतिपूर्त्ति होगी।

5. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार–पत्र पर दी जायेगी।

6. यदि प्राइवेट सेक्टर में निजी निवेशक उद्योग की स्थापना के लिए प्राप्त की गई उपर्युक्त छूट का उपभोग कर निवेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

---

24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3216—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

The 24th October 2011

No.- I/M[1]- 190/2005-3216—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act 1899 stamp duty is exempted by the Governor of Bihar under Industrial Incentive Policy 2011 on the following class of documents up to the limits as shown against them: -

Sl. No.	Type of documents & description	Exemption sanctioned in the Stamp duty
(i)	The Stamp duty for registering deeds related to lease/purchase/ transfer of industrial plots/shed of the State and land outside the authority area for the purpose of establishing industries by the private investors.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
(ii)	The Stamp duty for registering deeds related to lease/ purchase/ transfer of additional land for expansion or diversification of working industrial units in which the growth of production capacity is 50 Percent.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.

2. The aforesaid exemption shall be permitted on the first transaction.

3. This exemption shall be valid for five years from 1st July 2011.

4. Those units which have purchased land by lease/sale/transfer deeds for establishing industries and have not availed the exemption shall be eligible for refund of the amount equal to exemption allowed after post productive stage on the production of authority letter and certificate of production by the Industries Department.

5. The above exemption shall be permitted on an authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location.

6. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do not follow intoto prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI, *Secretary.*

---

24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3217—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा–78 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत एस.ओ.सं0 900, दिनांक 18 दिसम्बर 1990 द्वारा प्रकाशित निबंधन शुल्क की तालिका में संशोधन द्वारा निम्न रूप से निबंधन शुल्क में छूट देते हैं: –

क्रम सं0	दस्तावेजों के प्रकार और उनके ब्योरे	निबंधन शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट
(i)	राज्य के औद्योगिक प्राधिकार क्षेत्र के अंदर/बाहर भूखण्ड/शेड में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/विक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 प्रतिशत)।
(ii)	कार्यरत औद्योगिक इकाइयाँ जिनकी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो के विस्तार (Expansion) अथवा विशाखन (Diversification) हेतु मात्र विस्तारीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के लीज/ बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत छूट (100 प्रतिशत)।

2. निबंधन शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा, भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/ प्रतिलिपि शुल्क एवं कम्प्यूटरीकृत निबंधन के लिए यथानियत सेवा शुल्क नियमानुसार भुगतेय होंगे।

3. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्रय–पत्र/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगी।

4. यह छूट 1 जुलाई 2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

5. वैसी इकाइयाँ जिनके द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि का क्रय लीज/बिक्रय–पत्र/अंतरण दस्तावेजों के माध्यम से कर लिया जाता है एवं क्रय पूर्व छूट का उपभोग नहीं किया गया हो उन्हें उत्पादन के पश्चात् (Post Productive stage) उद्योग विभाग के उत्पादकता प्रमाण–पत्र एवं प्राधिकार–पत्र पर अनुमान्य छूट की राशि की प्रतिपूर्त्ति होगी।

6. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार–पत्र पर दी जायेगी।

7. यदि प्राइवेट सेक्टर में निजी निवेशक उद्योग की स्थापना के लिए प्राप्त की गई उपर्युक्त छूट का उपभोग कर निवेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

---

24 अक्तूबर 2011

सं० I/एम[1]–190/2005–3217—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी, सचिव।

The 24th October 2011

No. I/M[1]- 190/2005-3217—In exercise of the powers conferred by section-78 of the Registration Act 1908, the Governor of Bihar under Industrial Incentive Policy 2011 by an amendment in the Table of Fee published vide S.O.No. 900, dated 18th December 1990, is pleased to exempt the Registration fee as follows with immediate effect.-

Sl. No.	Type of documents & description	Exemption sanctioned in the Registration Fee
(i)	The Registration fee for registering deeds related to lease/purchase/ transfer of industrial plots/shed of the State and land outside the authority area for the purpose of establishing industries by the private investors.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
(ii)	The Registration fee for registering deeds related to lease/ purchase/ transfer of additional land for expansion or diversification of working industrial units in which the growth of production capacity is 50 percent.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.

2. All other fees such as LLR fee/Process fee/Copying fee and service charges for computerized registration except Registration fee shall be payable as per rules.

3. The aforesaid exemption shall be permitted on the first transaction.

4. This exemption shall be valid for five years from 1st July 2011.

5. Those units which have purchased land by lease/sale/transfer deeds for establishing industries and have not availed the exemption shall be eligible for refund of the amount equal to exemption allowed after post productive stage on the production of authority letter and certificate of production by the Industries Department.

6. The above exemption shall be permitted on an authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location.

7. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do not follow into prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI, *Secretary.*

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2011

सं0–जी0/रेलवे हाल्ट–17/2002–14875—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक 11/10/2010–एम एंड जी, दिनांक 17 अगस्त 2011 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में ''विद्यापति नगर'' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ''विद्यापति धाम'' किया जाता है।

तदनुसार स्टेशन का नाम देवनागरी एवं रोमन लिपि में निम्न प्रकार प्रतिवेदित है :–

क्र0	वर्त्तमान नाम	रोमन लिपि में नया नाम	देवनागरी लिपि में नया नाम
1	"VIDYAPATI NAGAR"	"VIDYAPATI DHAM"	''विद्यापति धाम''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविशंकर कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 34—571+**510**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in